

नीति आयोग की संरचना एवं उसके प्रकार्य

प्रदोष कुमार

नीति आयोग स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। 1 जनवरी ,2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया 15 मार्च, 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसके स्थान पर एक नया मंत्रिमंडल यह प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार नीति आयोग का गठन भी एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा हुआ तथा यह भी एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है।

प्रस्ताव के अनुसार नीति आयोग सरकार के थिंकटैंक के रूप में कार्य करेगी तथा सरकार को निर्देश आत्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगी नवगठित नीति आयोग की संरचना निम्न प्रकार है:-

- अध्यक्ष -भारत का प्रधानमंत्री
- गवर्निंग काउंसिल- राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो

- नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश पर आयोजित होगी
- क्षेत्रीय परिषद से संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे
- विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होगा
- उपाध्यक्ष -प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा
- सदस्य
 1. पूर्णकालिक
 2. अंशकालिक
- पदेन सदस्य- केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- मुख्य संचालन अधिकारी - भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त यहां उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के कार्य प्रणाली को लेकर समय-समय पर सवाल उठाया जा रहा था जिन कारणों से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की जरूरत महसूस की गई इस संदर्भ में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं:-

1. राज्यों की सुनिश्चित भागीदारी राष्ट्रीय विकास की योजना में सुनिश्चित करना टॉप से बॉटम के स्थान पर बॉटम से टॉप के आधार पर कार्य करना।
2. राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
3. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का स्वरूप तैयार करके उपलब्ध कराना।
4. सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने वाला कार्य करना
5. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना।
6. आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना।
7. समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो।
8. रणनीतिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना।

9. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी के लिए परामर्श और प्रोत्साहन देना।
10. कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल प्रदान करना आदि

उम्मीद की जानी चाहिए कि योजना आयोग के स्थान पर जिन आशा एवं आकांक्षाओं के साथ नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना की गई। वह पूर्ण रूप से अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं।